आवश्यक

संख्या:53/2019/3173/12-2-2019-14/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2019

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (एस) (सिविल)13029/1985 एम0 सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अदर्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 39/2019/2882/12-2-2019-14/2016 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 42/2019/2997/12-2-2019-14/2016 दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा कृषकों के द्वारा फसल अवशेष को जलाये जाने से रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में सेल का गठन तथा उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सचल दस्ते एवं संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान तथा लेखपाल को जिम्मेदार बनाये जाने के निर्देश के अतिरिक्त राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम के कलस्टरवार एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए फसल अवशेष को न जलने देने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये थे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि जिन कृषकों के द्वारा पराली जलाने की घटना सामने आती है उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए एवं जिन क्षेत्रों में ऐसी घटनायें होती हैं उनके लिए उत्तरदायी कर्मचारी का पर्यवेक्षणीय दायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को पराली जलाये जाने के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किए गए हैं, उसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

Everybody has to be answerable including the top state machinery percolating down to the level of from panchayat. The very purpose of giving administration power up to the panchayat level is that there has to be proper administration and there is no room for such activities. The action is clearly tortuous one and is clearly

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

punishable under statutory provisions, besides the violation of the Court's order. In the circumstances, as widespread stubble burning has taken place, we direct the States of Punjab and Haryana and adjoining State of Uttar Pradesh where there is blatant violation which has taken place, to halt it. We direct the Chief Secretaries of the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to be present in this Court on 06-11-2019 and chief Secretary of Government of NCT of Delhi.

We direct the Chief Secretaries of the State Governments, District Collectors, Tehsildars, Director General, IG/SP and other police officers of the area of concerned police station and the entire police machinery to ensure that not even a single incident takes place of stubble burning henceforth. If it is found that any stubble burning has been made not only that person doing it will be hauled up for the violation of the order passed by this Court but the entire administration, right from the Chief Secretary, Commissioner, Collector and all other concerned functionaries and Panchayats, Grm Pradhan/Sarpanch Panchayat are also directed to ensure that no such stubble burning takes place.

2. पुन: दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है:-

It was also pointed out that in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh stubble burning is still taking place. Satellite images have been placed on record by Ms. Aprajita Singh, learned Amicus curiae, Mr. A. N. S Nadkarni, learned Additional solicitor General of India and Mr. Mukul Rohatgi, learned senior counsel. In the circumstances, In order to ensure that necessary steps are taken and no stubble burning takes place, the presence of the Chief Secretary of the State of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and the NCT of Delhi is required as lot is required to be done and the pollution level is worsening in Delhi and NCR region, in spite or orders. We direct the Chief Secretary of the above mentioned States/UCT of Delhi to file their respective affidavits of the steps taken and to remain present in this court on 25-11-2019.

3. उल्लेखनीय है कि पराली अवशेष जलाये जाने से रोकने विषयक शासन के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 एवं 19 अक्टूबर, 2019 में दिये गये निर्देशों के बावजूद आपके जनपद में पराली के अवशेष जलाये जाने की 148 घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उक्त घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही पराली जलाने की घटना को न रोक पाने के लिए संबंधित क्षेत्र के उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित तहसील/थाना के जिम्मेदार अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण/उत्तरदायित्व निर्धारित कर स्व स्पष्टीकरण सहित दिनांक 20 नवम्बर, 2019 तक सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 उच्चतम न्यायालय में दिनांक 25 नवम्बर,2019 को सुनवाई के पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके। मात्र निम्न स्तर के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं है।

4. उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पराली एवं अन्य अवशेष जलाने की कोई भी घटना जनपद में न होने पाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 53/2019/3173(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृत कार्यवाही की आख्या प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।